"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 51] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 20 दिसम्बर 2002—अग्रहायण 29, शक 1924

भाग 3 (1)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, राजनांदगांव (छ. ग.)

[धारा 5 (1) सार्वजनिक न्यास अधिनियम, 1951 नियम (1) सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1957]

समक्ष :—पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, राजनांदगांव, जिला राजनांदगांव.

इस न्यायालय में श्री राजीव सिंघई, व्यवस्थापक ट्रस्टी एवं महासचिव राजनांदगांव के द्वारा म. प्र. लोक न्यास अधिनियम, 1951 (30 सन् 1951) की धारा 4 के तहत श्री दयोदय परिवार ट्रस्ट, राजनांदगांव के लोक न्यास हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है. लोक न्यास सूचना के रूप में दिया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 25-9-2002 से विचाराधीन है.

ऐसा कोई व्यक्ति उक्त न्यास में रुचि रखता हो या किसी प्रकार से आपत्ति हो तो वह सूचना प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर लिखित आपत्ति दो प्रतियों में तैयार कर उपरोक्त दिनांक को स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. बाद में प्राप्त होने वाले आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(सार्वजनिक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम एवं पता : श्री दयोदय परिवार ट्रस्ट, राजनांदगांव.

चल सम्पत्ति: जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित राजनांदगांव, खाता क्रमांक 691 में 5000/- रुपये अक्षरी पांच हजार रुपये मात्र.

अचल संपत्ति : निरंक

आर. आर. ठाकुर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव (छ. ग.)

क्रमांक/उपरा/परि./2002/808.—"ईंधन पूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 218 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./927, दि. 25-6-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "ईंधन पूर्ति श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़ पं. क्र. 218" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपरा/परि./2002/809.—"प्रगति ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., मोहला" पं. क्र. 279, दिनांक 30-12-92 को म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1570, दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, मोहला को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्रगति ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., मोहला" पं. क्र. 279 दिनांक 30-12-92 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 17-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपरा/परि./2002/872.—"कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़" पंजीयन क्रमांक 19 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/1071 दिनांक 2-7-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "कृष्णा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 19" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/871.—"यंग स्टार यातायात सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़" पं. क्र. 282 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन

में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./929, दिनांक 25-6-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था का परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "यंग स्टार यातायात सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 282" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 31-7-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/696.—"कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उरईडबरी पं. क्र. 73 दिनांक 1-2-88 को म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./287, दिनांक 16-2-90 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उरईडबरी पं. क्र. 73 दि. 1-2-88" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 7-6-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/949.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, दिलीपपुर पं. क्र. 303, दिनांक 22-6-94" को म. प्र. सहकारी सोसायटी, अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1333, दिनांक 5-8-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दिलीपपुर पं. क्र. 303 दिनांक 22-6-94" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/950.—"बीजलदेही महारानी ईंट कवेलू औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, बीजलदेही" पं. क्र. 269 को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1579, दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की

शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "बीजलदेही महारानी ईंट कवेलू औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., बीजलदेही पं. क्र. 269" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/948.—"शिवशक्ति अनुसूचित जनजाति मत्स्य सहकारी समिति मर्या., जालबांधा" पं. क्र. 379 को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./1729, दिनांक 21-9-2000 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "शिवशक्ति अनुसूचित जनजाति मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, जालबांधा पं. क्र. 379" दिनांक 3-9-98 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/951.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, देवरी पं. क्र. 209 दिनांक 9-11-93" को म. प्र. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1344, दिनांक 6-8-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरी पं. क्र. 209 दिनांक 9-11-93" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 26-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/962.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या. कल्लूटोला पं. क्र. 206, दिनांक 7-5-91" को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./309, दिनांक 15-3-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, कल्लूटोला पं. क्र. 206, दिनांक 7-5-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/963.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बूचाटोला पं. क्र. 205, दिनांक 7-5-91" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./363, दिनांक 27-3-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, बूचाटोला पं. क्र. 205, दि. 7-5-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/964.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, साल्हेटोला पं. क्र. 201, दिनांक 7-5-91" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./307, दिनांक 15-3-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साल्हेटोला पं. क्र. 201 दिनांक 7-5-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/965.—"मां दुर्गा यातायात सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव पं. क्र. 283" को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./907, दिनांक 25-6-96 से सह. विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "मां दुर्गा यातायात सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव पं. क्र. 283" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/966.—"अमर सहकारी उपभोक्ता भंडार, मर्यादित, राजनांदगांव पं. क्र. 32" को म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1333 दिनांक 29-5-84 से सह. विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "अमर सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्यादित, राजनांदगांव, पं. क्र. 32" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/967.—"जय किसान उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., भाठागांव पं. क्र. 21" को म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परिस./269 दिनांक 29-1-82 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) का अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "जय किसान उद्वहन सिंचाई सहकारी समिति मर्या., भाठागांव पं. क्र. 21" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 29-8-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1027.—"जगन्नाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांडादाह पं. क्र. 59" को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1038, दिनांक 11-6-92 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "जगन्नाथ दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पांडादाह पंजीयन क्रमांक 59" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1026.—"मिष्ठान क्रय विक्रय सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., खैरागढ़ पं. क्र. 1874" को म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत

परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./2606 दि. 8-12-75 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "मिष्ठान क्रय विक्रय सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., खैरागढ़ पं. क्र. 1874" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1094.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., भेंडरा पं. क्र. 222" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./57, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., भेंडरा पं. क्र. 222" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1095.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., अतरिया पं. क्र. 225" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./55 दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्यादित, अतरिया पं. क्र. 225" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1096.—"आदिवासी पत्थर उत्खनन सहकारी संस्था मर्या., भेंडरवानी पंजीयन क्रमांक 312" को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंरा/परि./719, दिनांक 27-6-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न

कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "आदिवासी पत्थर खदान सहकारी समिति मर्या., भेंडरवानी पं. क्र. 312" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1097.—"दीपिका महिला नगरीय बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, राजनांदगांव पं. क्र. 369" को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंरा/परि./833, दिनांक 23-7-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दीपिका महिला नगरीय बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या., राजनांदगांव पंजीयन क्रमांक 369" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1098.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., खम्हेरा पं. क्र. 229" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./उपंरा/परि./150, दिनांक 5-2-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., खम्हेरा पं. क्र. 229" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1099.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., दर्री पं. क्र. 220 को छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 7 0 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./उपंरा/परि./153, दिनांक 5-2-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., दर्री पं. क्र. 220" का पंजीयन निरस्त

करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1100.—"आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परसबोड़ पं. क्र. 45" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./उपंरा/परि./311 दिनांक 15-3-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "आदर्श दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., परसबोड़ पं. क्र. 45" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1101.—"प्राथमिक वृत्त सहकारी समिति मर्या., अतरिया पं. क्र. 227" को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./उपंरा/परि./56, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., अतरिया पं. क्र. 227" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1102.—"आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मोहला पं. क्र. 2" को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. संस्थाएं अधि. 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1571 दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, मोहला को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., मोहला पं. क्र. 2" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1103.—"पत्थर गिट्टी श्रमिक सहकारी संस्था मर्या., सहसपुर दल्ली पं. क्र. 197" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत

परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./325, दिनांक 19-3-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "पत्थर गिट्टी श्रमिक सहकारी समिति मर्या., सहसपुर दल्ली पं. क्र. 197" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-9-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1184.—"अर्चना खनिज ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., महरूमकला पं. क्र. 266 दिनांक 8-6-92" को म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1567, दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ (छुईखदान) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "अर्चना खनिज ईंट भट्ठा सहकारी समिति मर्या., महरूमकला पं. क्र. 266 दिनांक 8-6-92" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 24-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1188.—"संतोषी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठेलकाडीह पं. क्र. 06, दि. 18-3-80" को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धासरा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1069 दिनांक 2-7-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ (छुईखदान) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "संतोषी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ठेलकाडीह पं. क्र. 06, दिनांक 18-3-80" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1190.—"शारदा आदिवासी पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या., कांपा पं. क्र. 352 दिनांक 25-1-97" को छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./834 दिनांक 23-7-2002 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की

शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "शारदा आदिवासी पत्थर उत्खनन सहकारी समिति मर्या., कांपा पं. क्र. 352, दिनांक 25-1-97" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1191.—"चावल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., चाबुकनाला" पंजीयन क्रमांक 1730 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/576, दि. 1-7-80 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, चाबुकनाला" पं. क्र. 1730 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1192.—"चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, सड़क चिरचारी" पंजीयन क्रमांक 1674 को म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/576, दिनांक 1-7-80 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुरिया को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "चांवल दाल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सड़क चिरचारी" पं. क्र. 1674 का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1193.—"प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., खैरागढ़ पं. क्र. 244 दिनांक 22-11-91" को म. प्र. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./916, दि. 25-6-96 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, खैरागढ़ (छुईखदान) को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार मर्या., खैरागढ़ पं. क्र. 244, दिनांक 22-11-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1194.—"बजरंग सिंचाई सहकारी समिति मर्या., खमतराई पं. क्र. 22 दिनांक 30-6-72" को म. प्र. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर म. प्र. सहकारी सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./426, दिनांक 15-3-93 के अनुसार सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "बजरंग सिंचाई सहकारी समिति मर्या., खमतराई पं. क्र. 22 दिनांक 30-6-72" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 28-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1200.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बम्हनीभांठा पं. क्र. 230, दि. 31-10-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./154, दिनांक 5-2-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., बम्हनीभांठा पं. क्र. 230, दिनांक 31-10-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1201.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., जन्तर पं. क्र. 221, दिनांक 23-10-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./152, दिनांक 5-2-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., जन्तर पं. क्र. 221 दिनांक 23-10-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1202.—"प्राथमिक वृत्त सहकारी समिति मर्या., झूमरकोना पं. क्र. 226, दिनांक 31-10-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./53, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., झूमरकोना पं. क्र. 226 दिनांक 31-10-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1203.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., लालपुर पं. क्र. 223 दिनांक 31-10-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक उपंरा/परि./54, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., लालपुर पं. क्र. 223 दिनांक 31-10-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1204.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., दरबानटोला पं. क्र. 224 दिनांक 31-10-91" को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि. 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./58, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, छुईखदान को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., दरबानटोला पं. क्र. 224, दिनांक 31-10-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30-10-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1270.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., ठाकुरटोला पं. क्र. 250, दिनांक 29-11-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./66, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को उंकत संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं

अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., ठाकुरटोला पं. क्र. 250, दिनांक 29-11-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1271.—"प्राथमिक वृत्त सहकारी समिति मर्या., ढारा (रानीगंज) पं. क्र. 251 दिनांक 3-12-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि. 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./59, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., ढारा (रानीगंज) पं. क्र. 251, दिनांक 3-12-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1272.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., भर्रीटोला पं. क्र. 245, दिनांक 29-11-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./61, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., भर्रीटोला पं. क्र. 245, दि. 29-11-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 22-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1275.—"प्राथमिक वृत्त सहकारी समिति मर्या., ढारा (रानीगंज) पं. क्र. 252 दिनांक 3-12-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./60, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति

क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., ढारा (रानीगंज) पं. क्र. 252, दि. 3-12-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1276.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., कौहापानी पं. क्र. 246 दिनांक 29-11-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./65, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को उक्त उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., कौहापानी पं. क्र. 246, दिनांक 29-11-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1277.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., खरकाटोला पं. क्र. 247, दिनांक 29-11-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधि., 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./62, दिनांक 11-1-2001 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., खरकाटोला पं. क्र. 247, दिनांक 29-11-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1278.—"छत्तीसगढ़ खनिज सहकारी संस्था मर्या., राजनांदगांव पं. क्र. 361" को छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपरा/परि./1073 दिनांक 26-9-2002 के अनुसार सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "छत्तीसगढ़ खनिज सहकारी संस्था मर्या., राजनांदगांव पं. क्र. 361" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2002/1279.—"प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मनेरी पं. क्र 228, दि. 31-10-91" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंरा/परि./151, दिनांक 5-2-2001 के अनुसार सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगांव को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "प्राथमिक वृक्ष सहकारी समिति मर्या., मनेरी पं. क्र. 228 दिनांक 31-10-91" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 25-11-2002 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2001/1444.—"मानव अधिकार शैल सहकारी संस्था मर्या., चंवरढाल पं. क्र. 275, दिनांक 2-12-92" को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1577 दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "मानव अधिकार शैल सहकारी समिति मर्या. चंवरढाल पं. क्र. 275, दिनांक 2-12-92" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2001/1446.—"बेत बांस उद्योग सहकारी समिति मर्यादित, डोंगरगढ़ पं. क्र. 1842" को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./849, दिनांक 5-3-70 के द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "बेत बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या. डोंगरगढ़, पं. क्र. 1842" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2001/1447.—"बांस रिकरिंग उद्योग सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 1673 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सह. संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./47, दिनांक 4-1-73 से परिसमापक सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने

हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "बांस रिकरिंग उद्योग सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 1673" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2001/1448.—"दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाबा" पंजीयन क्रमांक 318 दिनांक 22-6-94 को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1566, दिनांक 29-9-98 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ढाबा पं. क्र. 318 दि. 22-6-94" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2001/1445.—"पंचशील मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 313" को छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./1335 दिनांक 5-8-96 द्वारा सहकारिता विस्तार अधिकारी, डोंगरगढ़ को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के परिसमापन की कार्यवाही संपन्न कर धारा 71 (3) के अंतर्गत उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "पंचशील मुद्रणालय सहकारी समिति मर्या., डोंगरगढ़ पं. क्र. 313" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

क्रमांक/उपंरा/परि./2001/1449.—"साग सब्जी उत्पादक एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या. राजनांदगांव पं. क्र. 51" को छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 70 (1) के अंतर्गत कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंरा/परि./426, दिनांक 15-3-93 से सहकारिता विस्तार अधिकारी, राजनांदगांव को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

संस्था के परिसमापक द्वारा छ. ग. सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा 71 के अंतर्गत प्रदत्त परिसमापक की शक्तियों के अंतर्गत छ. ग. सहकारी सोसा. नियम 1962 के नियम 57 के अनुरूप उक्त संस्था के पंजीयन निरस्त करने हेतु नियमानुसार अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिससे मैं सहमत हूं और यह धारणा करता हूं कि उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करना आवश्यक एवं वांछनीय है.

अतएव मैं, बी. के. ठाकुर, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव, छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एम. सी. दिनांक 26 जुलाई 99 द्वारा प्रदत्त पंजीयक के शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ. ग. सहकारी सोसा. अधिनियम, 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत "साग सब्जी उत्पादक एवं क्रय विक्रय सहकारी समिति मर्या., राजनांदगांव पं. क्र. 51" का पंजीयन निरस्त करता हूं और संस्था का निगमित निकाय (बाडी-कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 13-12-2001 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. के. ठाकुर,
सहायक रजिस्ट्रार.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा उप-नियंत्रक, शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.